न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS.

पत्रावली संख्या : 58/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/235

1. श्री भंवरसिंह पुत्र मनोहरसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी साकरियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणपतसिंह पुत्र देवीसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी साकरियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)।
3. पटवारी, पटवार हल्का साकरिया खेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री लाजवन्ती जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.07.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा साकरियाखेड़ी पटवार हल्का साकरिया खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1361/224 रकबा 0.1781, आराजी नम्बर 224 रकबा 0.5099 हैक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के उत्तर व पश्चिम दिशाओ में विपक्षी संख्या 1 की भूमि है। विपक्षी संख्या 1 के साथ सीमा को लेकर विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि की उत्तरी, पश्चिमी दिशा की सीमा (जिसे संलग्न नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) का सीमांकन कराया जाकर स्थायी पत्थरगढ़ी कराई जावें तथा विपक्षी संख्या 1 को पाबन्द किया जावें कि वो मेरी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, बाड़–वृक्ष नही काटे और मेरी कृषि भूमि का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, कच्चा / पक्का निर्माण कार्य नही करे, किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें। साथ ही मेरी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:44 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप झुठे है प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड़ी की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। विपक्षी 2, 3 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरणग्रस्त भूमि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी की भूमि का उत्तर, पश्चिम दिशाओ का सिमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा साकरिया खेड़ी पटवार हल्का साकरिया खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 204 पर दर्ज आराजी नम्बर 224 रकबा 05099 हैक्टर एवं खाता संख्या 203 पर दर्ज आराजी नम्बर 1361/224 रकबा 0.1781 हैक्टर भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। नकल जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। इसलिये प्रार्थी को अपनी तन्हा खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी न्यायायलय में उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की भूमि की पत्थरगड़ी की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा साकरिया खेड़ी पटवार हल्का साकरिया खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 204 पर दर्ज आराजी नम्बर 224 रकबा 05099 हैक्टर एवं खाता संख्या 203 पर दर्ज आराजी नम्बर 1361/224 रकबा 0.1781 हैक्टर भूमि के उत्तर, पश्चिम दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 की उपस्थिति में की जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:44 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर